Government Law College Kota

Tagore Nagar, Rawatbhata Road, Kota - 324010
Ph. No. - 0744- 2473545 E-mail :- glckotaraj@gmail.com

Action Taken Report on Feedback by Students

S.No.	Suggestions/Recommendations	Action Taken
1	Students feedback received mostly feedback were related infrastructure of the college, library facility, playground etc.	The meeting of APEX committee and staff faculty was held and discussed on this matter for this purpose staff members meet to collector, MP, MLA's and other competent authority of Kota city and wrote number of letters to construct more rooms and moot court, playground and boundary wall for campus.
2	To start LL.M Course	In last five years the building was not fully constructed therefore LL.M course couldn't be started but now 8 rooms are under construction and boundary wall construction has been completed. So now principal has written letter to commissionerate of college education to start LL.M course in the college.
3	Moot Court should be conducted in a separate room.	8 rooms construction in college is going on, 1 room has been allotted to Moot Court.

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय,
कोटा (राज०)

Government Law College Kota

Tagore Nagar, Rawatbhata Road, Kota - 324010
Ph. No. - 0744- 2473545 E-mail :- glckotaraj@gmail.com

APEX Committee

Minutes of Meeting

Meeting of Apex committee was conducted in Principal Chamber on 12.12.2023. It was regarding the action to be taken on the feedback of students. Following members were present.

1. Dr.Chandrajeet Singh
2. Dr.Mahendra Singh Meena
3. Sh. Vikas Kumar Jain
4. Smt. Sanevata Devi
5. Dr. Garima Gautam
6. Miss. Vinita Hada
7. Smt. BhawnaMeena

- This meeting was called regarding unified time table of internal assessment of LL.B. Dr.Mahendra Singh Meena, practical co-ordinator and members are directed to conduct practical examination as per schedule of University.
- Incharge of various committies are directed to write a letter as per feedback of the students, alumni, staff members and employer for allocation budget and to develop infrastructure in college.
- As suggest by the alumni, students, all staff members are directed to take classes as per prepared time table and weekly one class conducted to resolve students problems.
- According to feedback of the various catagories ATR to be prepared and record also to be maintained for the purposes of SSR and NAAC.
- In end of the meeting thanks was given by the Principal.

Dr.Chandrajeet Singh

Dr.Mahendra Singh Meena

Sh. Vikas Kumar Jain

Smt. Sanevata Devi

Dr. Garima Gautam

Miss. Vinita Hada

Smt. BhawnaMeena

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय,
कोटा (राज.)

मतदान
हमारा अधिकार हैं।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/विषय/2024/13853

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
कोटा

विषय. राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में स्नातकोत्तर स्तर पर एलएलएम पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने बाबत।

संदर्भ. आपका पत्रांक 1190 दि. 16.03.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में स्नातकोत्तर स्तर पर एलएलएम पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref 6213645

Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.03.19 12:08:20 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्राचार्य,राजकीय विधि महाविद्यालय,कोटा

टैगोर नगर, रावतभाटा रोड़, कोटा (राजस्थान) – 324010

Ph. No. - 0744- 2473545 E-mail :- glckotaraj@gmail.com

क्रमांक : 1190 दिनांक : 16/03/2024

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।

विषय :– महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एलएल.एम), एक सेक्शन (40 सीट) के संचालन की अनुमति एवं प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :– शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग का पत्रांक प.1( )शिक्षा/ग्रप–3/2014 दिनांक 01.08.2014 एवं आयुक्तालय का पृष्ठांकन आदेश क्रमांक एफ4(128)आयो./आकाशि/14–15/3066–3080 दिनांक 19.08.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि महाविद्यालय को आयुक्तालय स्तर से प्राप्त आदेश के अंतर्गत 7 विधि महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा का नाम भी उल्लिखित है। जिसकी वित्त विभाग की आईडी संख्या – 101402903 दिनांक 25.07.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित की गई थी।

महोदय उक्त संबंध में विद्यार्थियों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने निरंतर माँग उठाई जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र/कोटा संभाग में एक भी राजकीय विधि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान कर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें, जिससे कि डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को सत्र 2025–26 की संबद्धता के संबंध में आवेदन किया जा सके।

संलग्न :– संदर्भित पत्र एवं विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञापन।

16/3/24

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः प.1( )शिक्षा/ग्रुप–3/2014 जयपुर, दिनांकः 01/08/, 2014

--: आदेश :–

राज्य में स्नातक स्तर पर संचालित 07 राजकीय विधि महाविद्यालयों यथा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर एवं बीकानेर को एतद्द्वारा स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101402903 दिनांक 25.07.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

I.D. No. 400/PS/CCE/14
Dated 14.8.14

(कन्हैया लाल अग्रवाल)
शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को उनकी एकल पत्रावली संख्या एफ. 4(18)लेखा/निकाशि/05/पार्ट-III मय नोटशीट।
5. संयुक्त शासन सचिव–वित्त (व्यय–1) विभाग/वित्त (बजट) विभाग।
6. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
7. प्राचार्य, सम्बन्धित विधि महाविद्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रभूदयाल बैरवा)
सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4 (128)आयो/आकाशि/14–15/3066-3080 दिनांक : 19/8/2014

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर

2 शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी आदेश संख्या एफ 1 ( )शिक्षा/ग्रुप–3/2014 दिनांक 01.8.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3 निदेशक वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आईं डी सं 101402903 दिनांक 1.8.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3 निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर

4 कुल सचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर को सूचनार्थ

5 कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

6 महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

7 महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

8 कोटा विश्वविद्यालय कोटा को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

9 संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तवा काम्पलेक्स, ई– 5,अरेरा कालोनी, विठठ्न मार्केट, भोपाल (मध्यप्रदेश) को सूचनार्थ

10 मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

11 संयुक्त निदेशक कार्मिक /एच.आर.डी /अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

12 प्राचार्य,राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर, अलवर बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, सीकर, कोटा

13 वेब प्रभारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत

14 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

Emails
15/9/14

2
15/9/14

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःप.6(6)शिक्षा/ग्रुप–3/2014 जयपुर, दिनांकः 01-08-2014

–: आदेश :–

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के आदेश क्रमांक प 4 (15)लेखा/निकाशि/05/ पार्ट/ 782 दिनांक 06.12.2010 द्वारा राज्य के निम्न विधि स्नातक महाविद्यालयों के लिये सृजित **प्राचार्य, स्नातक के पदों को एतदद्वारा प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय में** वेतन श्रृंखला 37400–67000 ग्रेड पे–10000 में **क्रमोन्नत किया जाता है** :–

1. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, अजमेर
2. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, अलवर
3. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, भरतपुर
4. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, भीलवाड़ा
5. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, कोटा
6. प्राचार्य, विधि स्नातका महाविद्यालय, सीकर
7. प्राचार्य, विधि स्नातक महाविद्यालय, बीकानेर

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101402903 दिनांक 25.07.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd

(कन्हैया लाल अग्रवाल)
शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को उनकी एकल पत्रावली संख्या एफ. 4(18)लेखा/ निकाशि/05/पार्ट-III मय नोटशीट।
5. संयुक्त शासन सचिव–वित्त (व्यय–1) विभाग/वित्त (बजट) विभाग।
6. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
7. प्राचार्य, सम्बन्धित विधि महाविद्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रभूदयाल बैरवा 04/8/14

(प्रभूदयाल बैरवा)
सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा

D:\Data-2014-15\Soni Ji\Order.doc/7/31/2014/4:53:22 PM

दैनिक नवज्योति Kota City - 16 Mar 2024 - Page 7

दैनिक नवज्योति | सिटीlight | www.dainiknavajyoti.com सच्चा हमसफर

हर साल पीजी करने से वंचित रह जाते हैं सैंकड़ों विद्यार्थी

हाड़ौती के एक भी लॉ कॉलेज में नहीं होती कानून में स्पेशलाइजेशन

20 साल से एलएलएम को तरस रहा कोटा संभाग

Exclusive दैनिक नवज्योति

नवज्योति/कोटा।

हाड़ौती के राजकीय विधि महाविद्यालय बरसों से सरकारी तंत्र की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। जिसका खामियाजा सैंकड़ों विद्यार्थी भुगत रहे हैं। संभाग में तीन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं, जो पिछले 20 साल से एलएलएम को तरस रहे हैं। हालात यह हैं, सभी कॉलेज यूजी हैं लेकिन पीजी एक में भी नहीं है। जिसकी वजह से भावी वकील कानूनी शिक्षा में स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे। वहीं, पीजी के अभाव में रिसर्च सेंटर तक नहीं खुल पाए। ऐसे परिवेश में क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़िए कानून की बारीकियां तक सीखने को नहीं मिलती। निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में महंगी फीस होने से हर साल हजारों विद्यार्थी पोस्ट ग्रेज्युएशन करने से वंचित रह जाते हैं।

हाड़ौती के एक भी लॉ कॉलेज में नहीं एलएलएम

हाड़ौती में झालावाड़, बूंदी व कोटा में राजकीय विधि महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से एक भी कॉलेज में पीजी नहीं है। हर साल सैंकड़ों विद्यार्थी ग्रेज्युएशन करते हैं जो एलएलएम नहीं होने से कानूनी शिक्षा में स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते। जबकि, संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद कोटा 20 साल से पीजी संकाय खुलवाने को संघर्ष कर रहा है। सरकारी तंत्र की उपेक्षा से विद्यार्थी न तो आपराधिक और सुरक्षा, बौद्धिक सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, सार्वजनिक नीति और सुशासन जैसे कानून के विशेषज्ञ बन पा रहे और न ही स्किल डवलप हो पा रही।

छात्रों ने मंत्री से जनप्रतिनिधि तक लगाई गुहार

छात्रों ने बताया कि कोटा विधि महाविद्यालय में एलएलएम खुलवाने के लिए मंत्री से जनप्रतिनिधि तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। गत सत्र में कॉलेज में 1.50 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य हुए। 6 कक्षा कक्ष भी बने। शिक्षकों की उपलब्धता भी पर्याप्त है। इसके बावजूद पीजी संकाय शुरू नहीं हो सका। हालात यह हैं, पीजी के अभाव में रिसर्च सेंटर तक नहीं खुल पा रहा। एलएलएम खुले तो करियर को और आगे ले जाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

भवन बदलते रहे, नहीं मिली पीजी

कोटा में राजकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, जो 2016 तक गवर्नमेंट कॉलेज में अस्थाई कॉलेज के रूप में संचालित रहा। इसके बाद फरवरी 2017 में रावतभाटा रोड स्थित टैगोर नगर में खुद की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। इसके बाद से लगातार पीजी संकाय शुरू करने को लेकर प्रयास होते रहे लेकिन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नतीजन, 20 साल बाद भी विद्यार्थी एलएलएम को तरस रहे।

निजी कॉलेजों मे 2 लाख फीस

हाड़ौती के तीनों कॉलेजों से हर साल दो हजार से ज्यादा विद्यार्थी ग्रेज्युएशन करते हैं। इसके बाद आपराधिक और सुरक्षा कानून, संवैधानिक और प्रशासनिक व बौद्धिक सम्पदा कानून में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पीजी करनी होती है लेकिन निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पर ईयर की फीस ही 1.50 से 2 लाख होती है। ऐसे में सैंकड़ों विद्यार्थी कानून में स्पेशलाइजेशन से वंचित रह जाते हैं और उनकी स्किल भी डवलप नहीं हो पाती।

विद्यार्थी बोले- रिसर्च सेंटर तक नहीं, कैसे बनेंगे कानून के विशेषज्ञ

वर्तमान में कोटा लॉ कॉलेज एलएलम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सभी मानको पर खरा उतरता है। छात्र-छात्राओं को मोटी फीस देखकर निजी संस्थानों में प्रवेश लेना पड़ता है।

-गौरव मीणा, छात्रसंघ अध्यक्ष, विधि महाविद्यालय कोटा

लॉ कॉलेज में पीजी शुरू होता है तो इसका लाभ पूरे हाड़ोती संभाग के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। साथ ही कानून के किसी एक विषय के विशेषज्ञ बन सकेंगे जो समाज की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है।

-बुद्धराज मेरोठा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष

मिंत्री-विधायकों से गुहार लगा चुके हैं। लेकिन, कहीं से भी सकारात्मक प्रयास नहीं हुए। जबकि, प्राइवेट कॉलेजों में लाखों फीस वसूली जाती है, जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुमकिन नही है। -

हरिओम मीणा, छात्र विधि महाविद्यालय

पोस्ट ग्रेज्युएशन डिग्री लॉ स्टूडेंट लिए बेहतर कैरियर की शुरुआत बन सकती है, क्योंकि एलएलएम अंतरराष्ट्रीय कानून, कॉर्पोरेट कानून, श्रम कानून, मानवाधिकार कानून में स्पेशलाइजेशन प्रदान करती है। छात्रहित में सरकार को जल्द से जल्द एलएलएम खोलना चाहिए।

-लिपाशा वैष्णव, छात्रसंघ महासचिव

पोस्ट ग्रेज्युएशन की सुविधा मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही समाज को कानून विशेषज्ञ मिल सकेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या कई देशों से जुड़े मामलों से संबंधित विषय पर काम करने वाले कानूनी पेशावर तैयार हो सकेंगे।

-भीमराज मीणा, पूर्व छात्रसंघ महासचिव

यह है बीसीआई की गाडइ लाइन

-महाविद्यालय में 120 स्टूडेंट्स के दो सेशन होते हैं, जिस पर 10 शिक्षक होने चाहिए।
- आधुनिक लाइब्रेरी में न्यूनतम 10 हजार किताबें होना अनिवार्य है और प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 लाख रुपए की किताबें खरीदना आवश्यक है।
- विधि महाविद्यालय में अशैक्षणिक कर्मचारियों का पदस्थापन जरूरी है। साथ ही कॉलेज में सेमीनार हॉल, आईसीटी रूम यानी कम्प्यूटर लैब होना जरूरी है।
- कॉलेज में विद्यार्थियों की प्रेक्टिस के लिए 50 गुना 60 साइज में मूट कोर्ट बना होना चाहिए।
- काल्पनिक न्यायलय का पूरा स्ट्रेक्चर जैसे जज की कुर्सी, टेबल यानी डाइज, दोनों तरफ कटघरे, रीडर की टेबल, क्लाइंट व पक्षकारों के बैठने के लिए 80 कुर्सियां और सॉफ्ट फाइल वीडियो, ऑडियो के रूप में उपलब्ध सबूतों को सुनने व देखने के लिए कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर होना चाहिए।
- कॉलेज परिसर में करीब 100 गुणा 100 साइज का खेल मैदान होना जरूरी है। वहीं, बास्केट बॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल सहित अन्य सुविधाएं होने के साथ शारीरिक शिक्षक होना चाहिए।

सरकार को भेजे हैं प्रस्ताव

एलएलएम को लेकर प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेज दिए हैं। पहले हमारे पास एलएलएम के लिए जरूरी मापदंड के अनुरूप सुविधाएं नहीं थी लेकिन वर्तमान में वो सभी सुविधाएं विकसित कर ली गई हैं, जिसमें पर्याप्त कक्षा कक्ष, आधुनिक लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, 8 से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा और भी सुविधाएं विकसित करने के प्रयास जारी हैं।

-आरके उपाध्याय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा